



कार्यालय, जिला पंचायत सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

(प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 203 जिला कार्यालय भवन सूरजपुर)

Email - pmayg.surajpur@gmail.com, Phone/Fax : 07775-266152

--:विज्ञापन::--

सूरजपुर दिनांक :- 22/08/2024

क्रमांक / 2760 / प्रमंआयो-ग्रा0 / जि0पं0 / 2024 :: संचालनालय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर -19 नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटल नगर छ0ग0 का पत्र क्रमांक/891/274/प्र.मं.आ.यो.ग्रा/अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 30.07.2024 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक कलस्टर में "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" के चयन हेतु 150 हितग्राहियों के लिए कलस्टर में 01 " आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" की सेवा लेने का निर्णय किया गया है। चयन/चिन्हांकन हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 13/09/2024.. अपराह्न 5.30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक आवेदन पत्र में दर्शित किये गये शैक्षणिक योग्यता आदि प्रमाण पत्रों तथा नवीनतम स्व. हस्ताक्षरित फोटो के साथ **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर** के नाम से **पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट** के माध्यम से प्रेषित करना होगा। निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	विकासखण्ड का नाम	चयन हेतु " आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" की संख्या
01	भैयाथान	35
02	ओड़गी	33
03	प्रतापपुर	35
04	प्रेमनगर	25
05	रामानुजनगर	08
06	सूरजपुर	49
कुल योग:-		185

अर्हता :-

1. शैक्षणिक अर्हता :-

- बी0ई0 / डीप्लोमा / 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी " समर्पित मानव संसाधन" चयन के लिए पात्र होंगे। बी0ई0 सिविल तथा डिप्लोमा सिविल, एम.ए. (ग्रामीण विकास) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जावेगा।
- "समर्पित मानव संसाधन" के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12 वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- चयनित अभ्यर्थी को विकासखण्ड अंतर्गत उनके गृह ग्राम के कलस्टर पर नियुक्त किया जावेगा अभ्यर्थी न मिलने पर समीपस्थ कलस्टर में सेवा ली जावेगी।



- “ समर्पित मानव संसाधन ” के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, महिला स्वसहायता समूह (SHG) के सदस्य, बेयर फुट टेक्निशियन (BFT) बैंक सखी एवं अन्य अधीनस्थ अमले का भी नियम अनुसार चयन कर सकते हैं।
2. **चयन का आधार** :—अभ्यर्थियों का चयन 12 वीं में प्राप्त अंको के मैरिट के आधार पर किया जावेगा एवं अंको की गणना निम्नानुसार की जावेगी।
 - हायर सेकेण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण —न्यूनतम —65 अंक
 - बी0ई0/डीप्लोमा उत्तीर्ण —15 अंक
 - पूर्व में कार्यरत आवास मित्र—20 अंक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करने पर)।
 - बेयर फुट टेक्निशियन (BFT) —10 अंक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करने पर)।
 - महिला स्वसहायता समूह (SHG) के सदस्य तथा बैंक सखी —10 अंक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करने पर)।
 - समस्त दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रति देंगे।
 - आयु के लिए 10 वीं की अंकसूची मान्य की जायेगी।
 3. **आवेदन** :— जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जावेगा। आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।
 4. **आयु** :—“ समर्पित मानव संसाधन ” हेतु 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। आयु तिथि गणना 01.01.2024 से की जायेगी।
 5. **चयन समिति** :— जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जावेगा। समिति में जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी (ग्रामीण विकास विभाग से) या उनकी अनुपस्थिति में विभागीय समकक्ष अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। समिति में कोई एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के लेखाधिकारी सदस्य होंगे।

जिला पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन पश्चात पात्र अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत से उपलब्ध करायी गयी अभ्यर्थियों की सूची में शामिल अभ्यर्थियों की सेवा निर्धारित कलस्टर में “ समर्पित मानव संसाधन” के रूप में ली जावेगी।
 6. **प्रोत्साहन राशि** :— समर्पित मानव संसाधन को प्रति पूर्ण आवास के मान से निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जावेगी:—
 - “ समर्पित मानव संसाधन ” को प्रति आवास पूर्णता पर 1,000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
 - समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात् भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।
 - 300 रूपये प्रति आवास पंजीयन, जियो टैगिंग, स्वीकृति, प्रथम किश्त जारी तथा ले-आउट होने के पश्चात्।

- 300 रूपये प्रति आवास जियों टैगिंग, गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात्।
 - 400 रूपये प्रति आवास, जियो टैगिंग, प्लास्टर, पोताई, खिड़की/दरवाजा लोगो पूर्ण होने के पश्चात्।
7. **राशि का भुगतान:**— “समर्पित मानव संसाधन” को सेवा के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि योजनांतर्गत 1.7 % Contingency मद से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा भुगतान किया जावेगा।
8. **समयावधि** :—समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात् भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।
9. **अवधि की गणना** :—“समर्पित मानव संसाधन” के लिए कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना प्रथम किश्त की राशि जारी होने के साथ ही की जावेगी, साथ ही मार्गदर्शिका के अनुसार समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।
10. **जॉब चार्ट** :—
- हितग्राहियों का उन्मुखीकरण करना।
 - 12 माह की समय-सीमा में आवास पूर्ण कराना।
 - आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से समन्वय कराना।
 - हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय करना।
 - आवास निर्माण के Stage Wise जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में MIS Entry सुनिश्चित कराना।
11. **विशेष** :— चयनित “ समर्पित मानव संसाधन” प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संबंध में शासन-प्रशासन द्वारा जारी आदेश/निर्देशों को पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रकाशित विज्ञापन एवं निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप का अवलोकन जिला पंचायत सूरजपुर की वेबसाईट www.surajpur.gov.in पर देखा जा सकता है।
12. चयन हेतु “आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन” की संख्या परिवर्तनीय है। आवश्यकतानुसार संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
13. किसी भी स्तर पर चयन संबंधी कोई भी निर्णय अथवा नियम व शर्तों में संशोधन या विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकारी जिला स्तरीय चयन समिति का होगा। जो सर्वमान्य होगा।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सूरजपुर, (छ.ग.)

//4//

क्रमांक 276L/जि0पंचा0 / PMAY-G./ 2024
प्रतिलिपि :-

सूरजपुर, दिनांक 22/08/2024

1. संचालनालय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर -19 नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटल नगर छ0ग0 को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूरजपुर को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. जनसंपर्क कार्यालय जिला सूरजपुर छ0ग0 को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त जिला सूरजपुर को सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय सूचना पटल।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सूरजपुर, (छ.ग.)


SURAJPUR

“आवास मित्र / समर्पित मानव संसाधन” चयन हेतु आवेदन पत्र-प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सूरजपुर (छ0ग0)

स्वयं द्वारा
सत्यापित
पासपोर्ट साईज
फोटो

1. आवेदित पद का नाम.....
2. आवेदक/आवेदिका का नाम
(अंग्रेजी के केपिटल लेटर में)
3. पिता /पति का नाम
4. वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा/अन्य पि.व./सामान्य).....
5. लिंग (पुरुष/महिला).....
6. जन्म तिथि.....
7. आयु (01.01.2024 के अनुसार)
8. स्थायी पता
-
-
9. मोबाईल नम्बर
10. ईमेल आई.डी.....
11. विकासखण्ड (जनपद पंचायत का नाम).....
12. पत्र व्यवहार का पता.....
-
-
13. शैक्षणिक योग्यता:-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	परीक्षा परिणाम					
		वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी	बोर्ड/वि.वि.का नाम
1							
2							
3							
4							
5							

14. अनुभव:-

क्र.	नियोक्ता का नाम	पदनाम	कब से	कब तक

अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

15. रोजगार कार्यालय का नाम
- पंजीयन क्रमांक/तिथि

घोषणा -पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है, इसमें से कोई जानकारी गलत/असत्य पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में चिन्हांकनकर्ता अधिकारी को, मुझे बिना बताये, मेरे चिन्हांकन उपरांत चयन सूची को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उनका निर्णय मुझे मान्य होगा।

स्थान:-

दिनांक:-

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-

आवेदक का हस्ताक्षर

(पूरा नाम एवं पता)

नाम व पता

.....